

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 07/02/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू० 3,49,87,00,000/- (रूपये तीन अरब उनचास करोड़ सतासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू० 2,33,24,66,667/- (रूपये दो अरब तैतीस करोड़ चौबीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र सहित कुल राशि रू० 5,83,11,66,667/- (रूपये पाँच अरब तिरासी करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-7466 दिनांक-30.01.2026 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NHM अन्तर्गत Flexible Pool, for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू० 3,49,87,00,000/- (रूपये तीन अरब उनचास करोड़ सतासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू० 2,33,24,66,667/- (रूपये दो अरब तैतीस करोड़ चौबीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र सहित कुल राशि रू० 5,83,11,66,667/- (रूपये पाँच अरब तिरासी करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से 2nd Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

| STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR | | | | | | |
|--|---|---------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Details of Fund receivable from Govt. of India (2025-26) | | | | | | |
| Sl. No. | Letter no. | | | Amount (Central Shares-60%) | Amount (State Shares-40%) | Total |
| 1 | Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission | | | | | |
| | G.27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt.28.01.26 | General | 3601-06-101-16-06-31(GBS) | 2607300000 | 1738200000 | 4345500000 |
| | | | 3601-06-101-16-06-35(GBS) | 2897000000 | 1931333333 | 4828333333 |
| | | | Total | 2897000000 | 1931333333 | 4828333333 |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------|------------|------------|------------|
| | SC | 3601-06-789-80-01-31(GBS) | 501100000 | 334066667 | 835166667 |
| | | 3601-06-789-80-01-35(GBS) | 55700000 | 37123333 | 92833333 |
| | | Total | 556800000 | 371200000 | 928000000 |
| | ST | 3601-06-796-86-01-31(GBS) | 40300000 | 26866667 | 67166667 |
| | | 3601-06-796-86-01-35(GBS) | 4600000 | 3066667 | 7666667 |
| | | Total | 44900000 | 29933333 | 74833333 |
| | | Total(General+Sc+ST) | 3498700000 | 2332466667 | 5831166667 |

3- उक्त प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission on SNA SPARSH मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 3,49,87,00,000/- (रुपये तीन अरब उनचास करोड सतासी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु० 2,33,24,66,667/- (रुपये दो अरब तैतीस करोड चौबीस लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र सहित कुल राशि रु० 5,83,11,66,667/- (रुपये पाँच अरब तिरासी करोड ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- केन्द्रांश मद- केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबधित राशि से विकलनीय होगा-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0203-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि रु० 3,00,00,00,000/- (रुपये तीन अरब) में से रु० 1,80,00,00,000/- (रुपये एक अरब अस्सी करोड) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 1,09,70,00,000/- (रुपये एक अरब नौ करोड सतर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210037890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित कुल राशि रु० 1,50,00,00,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड) में से रु० 50,11,00,000/- (रुपये पचास करोड ग्यारह लाख) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड) में से रु० 5,57,00,000/- (रुपये पाँच करोड संतावन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0202-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037960202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित कुल राशि रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड) में से रु० 4,03,00,000/- (रुपये चार करोड तीन लाख) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड) में से रु० 46,00,000/- (रुपये छियालीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

4

6- राज्यांश मद- कडिका-4 के आलोक में राज्यांश मद की उपबधित राशि की निकासी केन्द्रांश मद के अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबधित राशि से विकलनीय होगा :-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष- 0203-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031, 100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि रु० 3,00,00,00,000/- (रुपये तीन अरब) में से रु० 1,20,00,00,000/- (रुपये एक अरब बीस करोड़) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छ अरब) मात्र में से रु० 73,13,33,333/- (रुपये तिहत्तर करोड़ तेरह लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड-20-2210037890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित कुल राशि रु० 1,50,00,00,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड़) में से रु० 33,40,66,667/- (रुपये तैतीस करोड़ चालीस लाख छियासठ हजार छ सौ सड़सठ) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) में से रु० 3,71,33,333/- (रुपये तीन करोड़ एकहत्तर लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0202-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037960202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित कुल राशि रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) में से रु० 2,68,66,667/- (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) में से रु० 30,66,667/- (रुपये तीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

7- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Implementing Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

8- इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

4

9- योजना अंतर्गत केन्द्राश एव राज्याश मद मे स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्राक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

| केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम | खाता का नाम | खाता संख्या | बैंक का नाम |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH | GOBHSPARSHBR48NHM | 01585501172 | RBI |

11- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने संस्थान सहित क्षेत्रीय संस्थानों से विहित प्रपत्र (BTC-42A) में सकलित कर विभाग के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) के पृष्ठ-62.../टि0 पर प्राप्त है।

14- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी।

15- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16- एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(शम्भु शरण) 7.2.26.

सरकार के अपर सचिव।
Husul

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 75 (7A)

/स्वा0, पटना, दिनांक-07/02/2026

प्रतिलिपि- / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक / उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12/प्रशाखा के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

75(7A)
07/02/2026


सरकार के अपर सचिव।
Mud